जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

प्रवेश समिति की कार्यवाही

दिनांक 16.11.2018 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन में आहूत प्रवेश समिति की बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नवत सदस्यगण उपस्थित रहे।

1. प्रो0 योगेन्द्र सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ0 के0के0 मिश्रा	सदस्य
3. डॉ0 आर0पी0 राघव	सदस्य
4. डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय,	सदस्य
5. डॉ0 रीना सक्सेना	सदस्य
6. डॉ0 विरेन्द्र कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष कृषि बिज्ञान,	सदस्य
7. डॉ0 दयालानन्द राय, संकायाध्यक्ष अधिष्ठाता छात्र कल्याण संकाय,	सदस्य
8. डॉ0 अमलदार नीहार, हिन्दी,	सदस्य
9. डॉ0 रामशरण पाण्डेय समाजशास्त्र,	सदस्य
10. डॉ0 राम कृष्ण उपाध्याय, अर्थशास्त्र,	सदस्य
11. डॉ0 अशोक कुमार सिंह, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान	सदस्य
12. डॉ0 राम प्रकाश कुशवाहा, प्राचार्य, शहीद मंगल पाण्डेय महाविद्यालय	सदस्य
13. डॉ0 त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी	सदस्य
14. डॉ0 अच्छे लाल यादव	सदस्य
15. डॉ0 आशोक कुमार पाण्डेय	सदस्य
16. डॉ0 उमेश सिंह	सदस्य
17. डॉ0 देवेन्द्र सिंह	सदस्य
18. डॉ0 इन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
19. डॉ अवनीश चन्द्र पाण्डेय	सदस्य
20. श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सदस्य–सचिव

मा0 कुलपति जी द्वारा प्रवेश समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया। कुलसचिव द्वारा प्रवेश समिति के सम्मुख विचारार्थ निम्नांकित कार्यसूची प्रस्तुत की गयी–

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

मद सं0 1— प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 की संलग्न कार्यवाही हके सम्पुष्टिकरण पर विचार।

प्रवेश समिति ने दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 की कार्यवाही को विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत से यथावत सम्पुष्ट किया।

मद सं0 2— विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 04.11.2018 एवं 05.11.2018 पर विचार।

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धकों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त निम्नांकित बिन्दुवार निर्णय लिये गये—

क्रं0	प्रत्यावेदन मांग दिनांक 05.11.2018 का विवरण	प्रवेश समिति का निर्णय
1	विश्वविद्यालय द्वारा जो मध्य सत्र में फीस वृद्धि की गयी है, वह वापस लिया जाय एवं पिछले वर्ष की भांति प्रथम वर्ष में रू0 1050 तथा द्वितीय वर्ष में रू0 950 जमा कराया जाय अतिरिक्त बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाय।	यह बिन्दु परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।
2	महाविद्यालयों द्वारा छात्र—छात्राओं का जो प्रवेश लिया गया है किन्तु विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर उनका पंजीकरण/परीक्षा फार्म नहीं भरा जा सका है, उनको पंजीकृत करने हेतु कोई अग्रिम तिथि निर्धारित की जाय।	शासन द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2018 थी जिसे प्रवेश समिति दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा 14 अगस्त, 2018 निर्धारित किया गया। उक्त तिथि के उपरान्त प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश/पंजीकरण की अनुमति नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है। बैकपेपर/इम्प्रूवमेन्ट परीक्षा तथा अपूर्ण एवं कतिपए कारणों से विलम्ब से घोषित परीक्षाफल के दृष्टिगत जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर द्वितीय वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन/परीक्षाफार्म नहीं भराया जा सका है तथा परीक्षा शुल्क भी विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं किया गया है, एसे महाविद्यालयों को अन्तिम रूप से वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन/परीक्षा फार्म भरे जाने तथा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि के उपरान्त विलम्ब शुल्क रू0 500 प्रतिछात्र के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तक उक्त कार्यवाही की जा सकेगी। आगामी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत 05

		दिसम्बर, 2018 के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि विस्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3	पंजीकरण के बाद महाविद्यालयों के समस्त छात्र–छात्राओं की सूची उनकी लागिन पर उपलब्ध करायी जाय व पूर्व के वर्षों की भांति उन्हें एप्रूव्ड / डिसएप्रूव्ड करने हेतु समय दिया जाय। तत्पश्चात महाविद्यालय फाइनल एप्रूव्ड करेगा। उसके बाद महाविद्यालय के लागिन पर उसकी फीस जनरेट की जाय।	महाविद्यालयों से यह अपेक्षित है कि प्रवेशित छात्रों का ही रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय पोर्टल पर किया जाय न कि एसे छात्रों का जिनका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया गया है। कुलसचिव ने समिति को बताया कि महाविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर विचार किया गया है।
4	महाविद्यालय के प्रबन्धक / प्राचार्यगण हेतु कोई बैठने का स्थान निर्धारित किया जाय जिससे विश्वविद्यालय में आने पर ना ही प्रबन्धक / प्राचार्यगण को असुविधा हो और न ही विश्वविद्यालय के किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो।	यह बिन्दु प्रशासनिक प्रकृति का होने के कारण निर्णय सक्षम स्तर से लेते हुए सूचित किया जायेगा।
5	सत्र 2018–19 में अस्थायी / स्थायी सम्बद्धता हेतु जो भी पत्रावली जमा हुई है, उनका पत्र निर्गत किये जायें, जिससे वह महाविद्यालय किसी अन्य कोर्स / यू0जी0सी0 में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सके।	यह बिन्दु सम्बद्धता समिति से सम्बन्धित है।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

क्र0	प्रत्यावेदन / मांग दिनांक 04.11.2018 का विवरण	प्रवेश समिति का निर्णय
1	रजिस्ट्रेशन / नामाकंन फार्म की अंतिम तिथि 15 अगस्त के स्थान पर 15 सितम्बर रखा जाय तथा उसके पश्चात विलम्ब शुल्क के साथ नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाये।	शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 2018 थी जिसे प्रवेश समिति दिनांक 03 अगस्त, 2018 द्वारा 14 अगस्त, 2018 निर्धारित किया गया। उक्त तिथि के उपरान्त प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश / पंजीकरण की अनुमति नियमानुसार दिया जाना सम्भव नहीं है। बैकपेपर / इम्प्रूवमेन्ट परीक्षा तथा अपूर्ण एवं कतिपए कारणों से विलम्ब से घोषित परीक्षाफल के दृष्टिगत जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर द्वितीय वर्ष / द्वितीय सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन / परीक्षाफार्म नहीं भराया जा सका है तथा परीक्षा शुल्क भी विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं किया गया है, एसे महाविद्यालयों को अन्तिम रूप से वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन / परीक्षा फार्म भरे जाने तथा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि के उपरान्त विलम्ब शुल्क रू0 500 प्रतिछात्र के अनुसार दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 तक उक्त कार्यवाही की जा सकेगी। आगामी सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत 05 दिसम्बर, 2018 के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि विस्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
2	नमांकन व रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग–अलग नहीं अपितु एक ही माना जाय।	सत्र 2017–18 में नामांकन व विश्वविद्यालय की बेव साइट रजिस्ट्रेशन हेतु लिये गये शुल्क रू0 200/– प्रति छात्र के अनुसार समस्त महाविद्यालयों द्वारा जमा किया गया था, उसी के अनरूप सत्र 2018–19 में समस्त महाविद्यालयों से रू0 100/– नामांकन शुल्क व रू0 100/– विश्वविद्यालय की वेब साइट पर छात्रों को उपलब्ध करायी गयी आनलाइन सुविधा हेतु पंजीकरण शुल्क के नाम पर लिया गया है अर्थात कुल रू0 200/– गत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी लिया गया है।
3	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रतिछात्र रू0 100/– ही लिया जाय। इसके लिए आवश्यक होने पर कुलाधिपति महोदय से निवेदन किया जाय।	यह विषय परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।
4	विश्वविद्यालयी परीक्षा के दौरान में आरोपित परीक्षा केन्द्रों / महाविद्यालायों का पक्ष भी सुना जाय। तत्पश्चात पारदर्शिता के साथ निर्णय लिया जाय।	यह विषय परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।
5	अन्य विश्वविद्यालय(जैसे–पूर्वांचल विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय) के नियमों	यह विषय परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।

	अनुसार ही किसी विषय के सभी प्रश्नपत्रों के योग के आधार पर ही परीक्षाफल उत्तीर्ण/अनुतीर्ण घोषित किया जाय।	
6	द्वितीय/तृतीय वर्ष के छात्रों का नामांकन आवश्यकता पड़ने पर निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय को दिया जाय।	यह व्यवस्था वर्तमान में प्रभावी है।
7	कृपांक को बढ़ाते हुए अधिकतम छात्रों को उत्तीर्ण होने का अवसर प्रदान किया तथा बैकपेपर समाप्त किया जाय।	यह विषय परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।
8	श्रेणी सुधार पूर्व की भांति मुख्य परीक्षा के साथ किया जाय।	यह विषय परीक्षा समिति से सम्बन्धित है।
9	स्थायी सम्बद्धता हेतु लंबित पत्रावलियों का निस्तारण प्रमुखता के साथ किया जाय।	यह बिन्दु सम्बद्धता समिति से सम्बन्धित है।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रवेश समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

16.11.18
(संजय कुमार)
कुलसचिव/सदस्य सचिव

16/11/18
(प्रो0 योगेन्द्र सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष